



संख्या: 46/2/2026-प्रशासन-I

भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

अटल अक्षय ऊर्जा भवन, केन्द्रीय कार्यालय परिसर के सामने

लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में वैज्ञानिक 'डी' (03 पद) और वैज्ञानिक 'सी' (03 पद) से लेवल 12 (रु. 78,800 – 2,09,200/-) और लेवल 11 (रु. 67,700-2,08,700/-), क्रमशः, को प्रतिनियुक्ति / अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्ति परिपत्र का पूरा विवरण नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की वेबसाइट "www.mnre.gov.in" पर उपलब्ध है।

उपरोक्त पते पर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन है।

हस्ता./-

रतन यादव

CbC/281001/11/0001/2627 भारत सरकार के अवर सचिव

PRINCIPAL FIN-SEC PRIVATE LIMITED

Registered Office: 412, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road,

Connaught Place, New Delhi – 110001

CIN: U74899DL1991PTC044281, Email: poo_lkg@rediffmail.com

PUBLIC NOTICE

[In terms of Paragraph 8, 9 and 10 of the Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Companies – Acquisition of Shareholding or Control) Directions, 2025 bearing reference No. RBI/DOR/2025-26/340 DOR.HOL.REC.259/16.13.100/2025-26 dated November 28, 2025]

This notice is being issued by PRINCIPAL FIN-SEC PRIVATE LIMITED (the "Company"), pursuant to the approval granted by the Reserve Bank of India ("RBI") for appointment of directors on the Board of the Company.

BACKGROUND

PRINCIPAL FIN-SEC PRIVATE LIMITED is a Non-Banking Financial Company registered with the Reserve Bank of India under the applicable provisions of the Reserve Bank of India Act, 1934 having its registered office at 412, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi – 110001.

The Company had applied to the Reserve Bank of India seeking prior approval for appointment of the following persons as Directors on the Board of the Company:

Ms. Aditi Gupta

Ms. Shilpi Gupta

RBIAPPROVAL

In terms of the applicable Directions, the Reserve Bank of India, vide its letter bearing reference no. DEL.DOR.NBFCBL.NO.S435/24-03-03/2026-2027 dated June 03, 2026, has granted its prior approval for appointment of Ms. Aditi Gupta and Ms. Shilpi Gupta as Directors on the Board of the Company for a period not exceeding five (5) years from the date of appointment.

The aforesaid appointments shall become effective upon expiry of 30 (thirty) days from the date of publication of this public notice.

Any person seeking any clarification(s) and/or having any objection(s) in relation to the aforesaid appointments may write to the Company within 30 (thirty) days from the date of publication of this notice, addressed to Mrs. Anju Gupta, Director, at the registered office address of the Company or through email at agr_lkg@rediffmail.com.

A copy of this notice is also available at the registered office of the Company.

For and on behalf of

PRINCIPAL FIN-SEC PRIVATE LIMITED

Sd/-

Anju Gupta

Director

Date: 23.06.2026

Place: New Delhi

प्ररूप संख्या आईएनसी-26

(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम

30 के अनुसार पृष्ठ 1)

केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक,

उत्तरी क्षेत्र निदेशालय 1, कॉर्पोरेट कार्य

मंत्रालय, नई दिल्ली के सामने

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4)

और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (F)

के मागले में

और

मानसरोवर ट्रेडएक्स लिमिटेड

(सीआईएन: U51100DL1981PLC365481)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 28, नजफगढ़ रोड,

वेस्ट दिल्ली, नई दिल्ली-110015

में है, के मागले में

...आवेदक कंपनी/वाचककर्ता

एतद्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह

आवेदक कंपनी केन्द्रीय सरकार के सामने कंपनी

अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन का

प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय

“राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली” से “हरियाणा

राज्य” में स्थानांतरित करने के लिए 20 जून, 2026

को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष

प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के कम्प्लेक्स ऑफ एसीटिएएनमें

बदलाव की पुष्टि करने की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण

से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो

वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइन

कर एनसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में

शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शाय पत्र

जिसमें उनके हित का प्रसार और उसके विरोध का

कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय

निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से

बीहद (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी

क्षेत्र निदेशालय 1, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय,

बी-2 बिंग, नूरास तल, पंडित दीनदयाल

अस्वोदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई

दिल्ली-110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता

है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके

निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजे।

28, नजफगढ़ रोड, वेस्ट दिल्ली, नई

दिल्ली-110015

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से

मानसरोवर ट्रेडएक्स लिमिटेड

हस्ता /-

दिनांक : 22.06.2026 विनेश खन्ना (निदेशक)

स्थान : नई दिल्ली डीआईएन : 03298648

प्ररूप संख्या आईएनसी-26

(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम

30 के अनुसार पृष्ठ 1)

केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक,

उत्तरी क्षेत्र निदेशालय 1, कॉर्पोरेट कार्य

मंत्रालय, नई दिल्ली के सामने

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4)

और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (F)

के मागले में

और

गोयामीन कोर्टिडस एंड इन्वेस्टमेंट

प्राइवेट लिमिटेड

(सीआईएन: U74899DL1995PTC347093)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: 28, नजफगढ़ रोड,

वेस्ट दिल्ली, नई दिल्ली-110015

में है, के मागले में

...आवेदक कंपनी/वाचककर्ता

एतद्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह

आवेदक कंपनी केन्द्रीय सरकार के सामने कंपनी

अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन का

प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय

“राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली” से “हरियाणा

राज्य” में स्थानांतरित करने के लिए 20 जून, 2026

को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष

प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के कम्प्लेक्स ऑफ एसीटिएएनमें

बदलाव की पुष्टि करने की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण

से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो

वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइन

कर एनसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में

शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शाय पत्र

जिसमें उनके हित का प्रसार और उसके विरोध का

कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय

निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से

बीहद (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी

क्षेत्र निदेशालय 1, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय,

बी-2 बिंग, नूरास तल, पंडित दीनदयाल

अस्वोदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई

दिल्ली-110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता

है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके

निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजे।

28, नजफगढ़ रोड, वेस्ट दिल्ली, नई

दिल्ली-110015

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से

गोयामीन कोर्टिडस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड

हस्ता /-

दिनांक : 22.06.2026 राकेश कुमार मंडोरा

स्थान : नई दिल्ली डीआईएन : 10805192

लेक शोर रियल्टी लिमिटेड

(पूर्व की महान फूड्स लिमिटेड)

पंजीकृत पता: 23, द्वितीय तल, स्वयं रोड, उत्तर पंथम, एवेन्यू पंथम, पंजाबी बाग,

एयरटेड टावर, पंजाबी बाग सेक्टर-3, पश्चिमी दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110026

ईमेल: cs@lakeshorerealty.in वेबसाइट: www.lakeshorerealty.in

फोन: +91 99677 66268

अपनी वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की 39वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार, 15 जुलाई, 2026 को दोपहर 12:00 बजे (या भा.सा.) चौधौथे कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) अथवा ऑडियो-विड्युअल कॉन्फ्रेंसिंग (ओएएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। इस बैठक में एजीएम की सूचना में उल्लिखित मामलों पर किए जाएंगे। यह बैठक कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत निर्मित नियमों, और साथ ही कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एनसीए) और सेबी द्वारा जारी लागू परिपत्रों के साथ पंडित भारतीय प्रतिपुष्टि और विनियम बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के लागू प्रावधानों के अनुसार आयोजित की जाएगी।

वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण और वेबसाइट पर उपलब्ध करना:

संबंधित परिपत्र के अनुसार, मैं, कंपनी के उच्च स्तर के अधिकारियों/सदस्यों को एजीएम का नोटिस और वित्त वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ईमेल की गई है, जिसके ईमेल पते कंपनी, हिप्पाइजिट वॉल्टिस्टिस्ट (सीबी) या रजिस्ट्रार और ट्रांसकर एजेंट (आरटीए) के पास रजिस्टर्ड हैं।

इसके अलावा, कंपनी की 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी (जिसमें एजीएम का नोटिस भी शामिल है) कंपनी की वेबसाइट www.lakeshorerealty.in पर, उच्च स्तर के अधिकारियों/सदस्यों पर जहां कंपनी के इन्वेंट्री शेयर सूचीबद्ध हैं यानी बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सेडीएसएल") की वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध हैं।

ई-वोटिंग:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों (साथ ही लागू नियम और इंडियन ट्रेड ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया) द्वारा जारी आम बैठकों पर सूचीबद्ध मानक-2) और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार, कंपनी को अपने शेयरधारकों के लिए एजीएम से पहले "रिपोर्ट ई-वोटिंग"

और एजीएम के दौरान "ई-वोटिंग" के जरिए ई-वोटिंग की सुविधा देते हुए प्रस्तावित हो रही है। एजीएम में किए जाने वाले मामलों के संबंध में, कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग की सुविधा के लिए सीडीएसएल को नियुक्त किया है।

ई-वोटिंग की जानकारी नीचे दी गई है।

कट-ऑफ तिथि यानी बुधवार, 08 जुलाई, 2026 को सदस्यों के रजिस्टर/लाभगोत्री स्थानियों के रजिस्टर में जिनका नाम दर्ज है, वे ही रिपोर्ट ई-वोटिंग और एजीएम में वोटिंग की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।

रिपोर्ट ई-वोटिंग

रिपोर्ट ई-वोटिंग रिव्यार, 12 जुलाई, 2026 को सुबह 09:00 बजे शुरू होगी और मंगलवार, 14 सितंबर, 2026 को शाम 05:00 बजे समाप्त होगी। इसके बाद सीडीएसएल द्वारा वोटिंग के लिए ई-वोटिंग मॉड्यूल बंद दिया जाएगा।

सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि यानी बुधवार, 08 जुलाई, 2026 को कंपनी की प्रगत रजिस्ट्री शेयर पुंजी में उक्त शेयरों के अनुसार हो होगी।

जिन सदस्यों ने रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे और कंपनी (या सिंगल) के अध्यक्ष से उनको उपस्थिति की गिनती की जाएगी, हालांकि, ऐसे सदस्यों को एजीएम में अपना वोट डालने की अनुमति नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति जो नोटिस में अपने वोट के बाद कंपनी के वित्त वर्ष 2025-26 की वार्षिक वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।

जिन सदस्यों ने रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे और कंपनी (या सिंगल) के अध्यक्ष से उनको उपस्थिति की गिनती की जाएगी, हालांकि, ऐसे सदस्यों को एजीएम में अपना वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।

जिन सदस्यों ने रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे और कंपनी (या सिंगल) के अध्यक्ष से उनको उपस्थिति की गिनती की जाएगी, हालांकि, ऐसे सदस्यों को एजीएम में अपना वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।

जिन सदस्यों ने रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे और कंपनी (या सिंगल) के अध्यक्ष से उनको उपस्थिति की गिनती की जाएगी, हालांकि, ऐसे सदस्यों को एजीएम में अपना वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।

जिन सदस्यों ने रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे और कंपनी (या सिंगल) के अध्यक्ष से उनको उपस्थिति की गिनती की जाएगी, हालांकि, ऐसे सदस्यों को एजीएम में अपना वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।

जिन सदस्यों ने रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे और कंपनी (या सिंगल) के अध्यक्ष से उनको उपस्थिति की गिनती की जाएगी, हालांकि, ऐसे सदस्यों को एजीएम में अपना वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।

जिन सदस्यों ने रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे और कंपनी (या सिंगल) के अध्यक्ष से उनको उपस्थिति की गिनती की जाएगी, हालांकि, ऐसे सदस्यों को एजीएम में अपना वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।

जिन सदस्यों ने रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे और कंपनी (या सिंगल) के अध्यक्ष से उनको उपस्थिति की गिनती की जाएगी, हालांकि, ऐसे सदस्यों को एजीएम में अपना वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।

जिन सदस्यों ने रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे और कंपनी (या सिंगल) के अध्यक्ष से उनको उपस्थिति की गिनती की जाएगी, हालांकि, ऐसे सदस्यों को एजीएम में अपना वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।

जिन सदस्यों ने रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे और कंपनी (या सिंगल) के अध्यक्ष से उनको उपस्थिति की गिनती की जाएगी, हालांकि, ऐसे सदस्यों को एजीएम में अपना वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।

जिन सदस्यों ने रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे और कंपनी (या सिंगल) के अध्यक्ष से उनको उपस्थिति की गिनती की जाएगी, हालांकि, ऐसे सदस्यों को एजीएम में अपना वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।

जिन सदस्यों ने रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे और कंपनी (या सिंगल) के अध्यक्ष से उनको उपस्थिति की गिनती की जाएगी, हालांकि, ऐसे सदस्यों को एजीएम में अपना वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।

जिन सदस्यों ने रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे और कंपनी (या सिंगल) के अध्यक्ष से उनको उपस्थिति की गिनती की जाएगी, हालांकि, ऐसे सदस्यों को एजीएम में अपना वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।

जिन सदस्यों ने रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे और कंपनी (या सिंगल) के अध्यक्ष से उनको उपस्थिति की गिनती की जाएगी, हालांकि, ऐसे सदस्यों को एजीएम में अपना वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।

जिन सदस्यों ने रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे और कंपनी (या सिंगल) के अध्यक्ष से उनको उपस्थिति की गिनती की जाएगी, हालांकि, ऐसे सदस्यों को एजीएम में अपना वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।

जिन सदस्यों ने रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे और कंपनी (या सिंगल) के अध्यक्ष से उनको उपस्थिति की गिनती की जाएगी, हालांकि, ऐसे सदस्यों को एजीएम में अपना वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।

जिन सदस्यों ने रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे और कंपनी (या सिंगल) के अध्यक्ष से उनको उपस्थिति की गिनती की जाएगी, हालांकि, ऐसे सदस्यों को एजीएम में अपना वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।

जिन सदस्यों ने रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे और कंपनी (या सिंगल) के अध्यक्ष से उनको उपस्थिति की गिनती की जाएगी, हालांकि, ऐसे सदस्यों को एजीएम में अपना वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।

जिन सदस्यों ने रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे और कंपनी (या सिंगल) के अध्यक्ष से उनको उपस्थिति की गिनती की जाएगी, हालांकि, ऐसे सदस्यों को एजीएम में अपना वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।

जिन सदस्यों ने रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे और कंपनी (या सिंगल) के अध्यक्ष से उनको उपस्थिति की गिनती की जाएगी, हालांकि, ऐसे सदस्यों को एजीएम में अपना वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।

जिन सदस्यों ने रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे और कंपनी (या सिंगल) के अध्यक्ष से उनको उपस्थिति की गिनती की जाएगी, हालांकि, ऐसे सदस्यों को एजीएम में अपना वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।

जिन सदस्यों ने रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे और कंपनी (या सिंगल) के अध्यक्ष से उनको उपस्थिति की गिनती की जाएगी, हालांकि, ऐसे सदस्यों को एजीएम में अपना वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।

जिन सदस्यों ने रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे और कंपनी (या सिंगल) के अध्यक्ष से उनको उपस्थिति की गिनती की जाएगी, हालांकि, ऐसे सदस्यों को एजीएम में अपना वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।

जिन सदस्यों ने रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे और कंपनी (या सिंगल) के अध्यक्ष से उनको उपस्थिति की गिनती की जाएगी, हालांकि, ऐसे सदस्यों को एजीएम में अपना वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।

जिन सदस्यों ने रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे और कंपनी (या सिंगल) के अध्यक्ष से उनको उपस्थिति की गिनती की जाएगी, हालांकि, ऐसे सदस्यों को एजीएम में अपना वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।

जिन सदस्यों ने रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे और कंपनी (या सिंगल) के अध्यक्ष से उनको उपस्थिति की गिनती की जाएगी, हालांकि, ऐसे सदस्यों को एजीएम में अपना वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।

जिन सदस्यों ने रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे और कंपनी (या सिंगल) के अध्यक्ष से उनको उपस्थिति की गिनती की जाएगी, हालांकि, ऐसे सदस्यों को एजीएम में अपना वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।

जिन सदस्यों ने रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे और कंपनी (या सिंगल) के अध्यक्ष से उनको उपस्थिति की गिनती की जाएगी, हालांकि, ऐसे सदस्यों को एजीएम में अपना वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।

जिन सदस्यों ने रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे और कंपनी (या सिंगल) के अध्यक्ष से उनको उपस्थिति की गिनती की जाएगी, हालांकि, ऐसे सदस्यों को एजीएम में अपना वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।

जिन सदस्यों ने रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे और कंपनी (या सिंगल) के अध्यक्ष से उनको उपस्थिति की गिनती की जाएगी, हालांकि, ऐसे सदस्यों को एजीएम में अपना वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।

जिन सदस्यों ने रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे और कंपनी (या सिंगल) के अध्यक्ष से उनको उपस्थिति की गिनती की जाएगी, हालांकि, ऐसे सदस्यों को एजीएम में अपना वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।

जिन सदस्यों ने रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे और कंपनी (या सिंगल) के अध्यक्ष से उनको उपस्थिति की गिनती की जाएगी, हालांकि, ऐसे सदस्यों को एजीएम में अपना वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।

जिन सदस्यों ने रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे और कंपनी (या सिंगल) के अध्यक्ष से उनको उपस्थिति की गिनती की जाएगी, हालांकि, ऐसे सदस्यों को एजीएम में अपना वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।